सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 43/2018 अपील (RCMS/2018/00048)
पंजीयन दिनांक – 27.03.2018
निर्णय दिनांक – 10.07.2018

1. श्री प्यारेलाल सोलंकी पिता शंकरलाल सोलंकी, निवासी मकान नम्बर 146, देवाली, उदयपुर।

–अपीलान्टस्

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
2. श्री खेमराज पिता शंकरलाल सोलंकी, निवासी देवाली, उदयपुर।
3. श्री मदनलाल पिता शंकरलाल सोलंकी, निवासी देवाली, उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा – वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.एस. चुण्डावत – वकील रेस्पोडेंट सं.–1

अपील अर्न्तगत धारा–90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का निर्णय दिनांक 23.06.2010

निर्णय

दिनांक 10.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का आदेश दिनांक 23.06.2010 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम हवाला खुर्द, उदयपुर के आराजी 160 मी., 2850/158, 2852/159 कुल किता 3, कुल रकबा

0.6500 हैक्टेयर स्थित है। इस भूमि में रेस्पोडेंट संख्या–2 का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट संख्या–3 व अपीलान्ट का 1/2 हक व हिस्सा निहित हैं एवं स्वामित्व व आधिपत्य है। इस भूमि का अपीलान्ट उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलान्ट अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने कृषि से गैर कृषि में परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट संख्या–1 ने आम सूचना दिनांक 19.05.2010 को दैनिक समाचार पत्र उदयपुर एक्सप्रेस में प्रकाशित करा 7 दिवस में आपत्तियां मांगी गई थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने से प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उक्त आराजीयात की भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का आदेश दिनांक 23.06.2010 को पारित किया गया। जिससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट–1 उपस्थित। उभय पक्ष की बहस दिनांक 03.07.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि उक्त वर्णित आराजीयात में रेस्पोडेंट संख्या 2, 3 व अपीलान्ट का संयुक्त हक व हिस्सा है ऐसी स्थिति में जब तक सभी खातेदार मिलकर संयुक्त रूप से पुर्नग्रहण हेतु नगर विकास प्रन्यास में सर्मपित नहीं करें तब तक किसी प्रकार का कोई आदेश नगर विकास प्रन्यास द्वारा पुर्नग्रहण बाबत नहीं दिया जा सकता है जबकि अपीलान्ट ने कभी भी किसी प्रकार का कोई सर्मपण पत्र अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत नहीं किया और इस तथ्य को नगर विकास प्रन्यास द्वारा नजरअन्दाज करते हुए दिनांक 23.06.2010 को जो आदेश पारित किया गया है, वह पूर्ण रूप से कानून सम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य हैं। नगर विकास प्रन्यास के तहसीलदार एवं अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत रेकार्ड का कही भी अवलोकन नहीं किया और बिना रेकर्ड देखे ही एवं गलत रिपोर्ट के आधार पर जो पुर्नग्रहण आदेश प्राधिकृति अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, वह कानून सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को कभी भी नहीं हुई और निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 अन्तर्गत मयाद अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किया गया।

दौराने कार्यवाही रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील में वर्णित आराजीयात के बाबत धारा–90बी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था उस समय अपीलान्ट द्वारा सर्मपण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और उसके

द्वारा यही कहा गया कि मैं प्रस्तुत कर दुगा। अपीलान्ट द्वारा जिस आधार पर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है उसमें वर्णित तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपील को पुनः प्रेषित की जाना आवश्यक है कि अपीलान्ट इस भूमि का समर्पण पत्र अपने हस्ताक्षर से नगर विकास प्रन्यास में प्रस्तुत करने की स्थिति में पुनः नये सिरे से पुर्नग्रहण आदेश पारित करे ताकि भविष्य में इस वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद दोनों पक्षों के मध्य समर्पण पत्र बाबत नहीं हो सकें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 ने बहस में बताया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, अभिन्यास योजना, और अन्य सुसंगत दस्तावेज पेश किये, उसी आधार पर 90–ए की कार्यवाही नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गई। इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र उदयपुर एक्सप्रेस में प्रकाशित करा आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने से प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गयी 90–ए की कार्यवाही नियमानुसार की गई है, जिससे अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य है।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि अपीलान्ट ने कभी भी किसी प्रकार का कोई सर्मपण पत्र अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत नहीं किया और इस तथ्य को नगर विकास प्रन्यास द्वारा नजरअन्दाज करते हुए दिनांक 23.06.2010 को आदेश पारित किया गया हैं। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा भी स्वीकार किया गया कि अपील में वर्णित आराजीयात के बाबत धारा–90बी का आवेदन प्रस्तुत करते समय अपीलान्ट द्वारा सर्मपण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और उसके द्वारा यही कहा गया कि मैं प्रस्तुत कर दुगा। अपीलान्ट द्वारा जिस आधार पर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है उसमें वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील को पुनः प्रेषित की जाना आवश्यक है। प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि आदेश दिनांक 23.06.2010 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का आदेश दिनांक 23.06.2010 निरस्त किया जाता है। प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के प्रस्तावित रास्तों में कोई दखल न हो, ध्यान में रखते हुए पक्षकारों को उचित एवं

पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण करते हुए नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 10.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर